प्रेस विज्ञप्ति

24/01/2026

(पीएसआई भर्ती घोटाला)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने अमृत पॉल और अन्य (पीएसआई भर्ती घोटाला) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23.01.2026 को 1.53 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अमृत पॉल (एडीजीपी) और श्रीधर एच (हेड कांस्टेबल) की आवासीय संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन, सीआईडी द्वारा वर्ष 2021-22 में कर्नाटक में आयोजित पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती में अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न पुलिस अधिकारियों और उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। कर्नाटक पुलिस भर्ती प्रकोष्ठ ने कर्नाटक पुलिस विभाग में पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) के 545 रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की थी। सफल उम्मीदवारों की एक अनंतिम सूची प्रकाशित की गई थी। उक्त परीक्षा के संभावित परिणाम घोषित होने के बाद, परीक्षा में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे।

ईडी की जांच में पता चला कि तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती) अमृत पॉल ने ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं वाले स्ट्रांग रूम में अनाधिकृत प्रवेश की सुविधा प्रदान करके इस साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्ट्रांग रूम की चाबियों वाली अलमारी की चाबियां डिप्टी एसपी शांत कुमार को सौंप दीं, जिससे श्रीधर एच सहित उनके सहयोगियों को अयोग्य उम्मीदवारों की ओएमआर शीट में हेरफेर करने और उनके चयन को सुनिश्चित करने का मौका मिला। आरोपियों ने प्रति उम्मीदवार 30 लाख रुपये से 70 लाख रुपये तक की रिश्वत ली। अवैध रूप से प्राप्त नकदी को व्यक्तिगत ऋण के बहाने छिपाया गया और इसका उपयोग आवासीय संपत्तियों के निर्माण में किया गया।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में अभियोग शिकायत दर्ज कराई थी और माननीय न्यायालय ने पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है।

आगे की जांच जारी है।